न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 991 / 2022

अनवान : –

1. रामजीलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. नोपाराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. रामेश्वरलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. धनी पत्नी चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. विद्या पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. शारदा उर्फ लाली पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. ललीता उर्फ पाना पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 23/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने दिनांक 20.01.2022 को धन्नी व अन्य के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 268 / 259 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 94 / 94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में से 8917 / 401220 हिस्सा भूमि बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 268 / 259 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 94 / 94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में से 8917 / 401220 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है अतः रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 268 / 259 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है [illegible] [illegible]ही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 94 / 94 की कुल 8.91[illegible] [illegible] / 401220 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त दोनो खातों में [illegible]वादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:22:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जावे। वादीगण जिसकी न्यायलय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है। न्यायालय ने वाद वाद विधिवत सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 16.02.2022 को वाद वादीगण डिक्री किया जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 शादरा उर्फ लाली ने न्यायालय अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील स0 133/2022 शारदा उर्फ लाली बनाम रामजीलाल आदि प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.2022 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2022 को अपास्त कर इस विवेचन के साथ रिमाण्ड किया गया की उभयपक्षों को सुनकर पुन विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षों को तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 268/259 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में से 8917/401220 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 268/259 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में से संयुक्त रूप से वादीगण बहिब 5/9 हिस्सा भूमि के व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 2/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से वादीगण संख्या 1 ता 3 को 0.9908 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 0.7926 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगें।

प्रकरण में उभयपक्ष का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त वाद भूमि बाबत राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता तो सभी पक्षकारा सहमत है वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में [illegible] मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 268/257 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 7/27 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:22:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में से 62419/1203660 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 268/257 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 7/27 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 94/94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में से 62419/1203660 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 268/257 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से वादीगण बहिब 5/9 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 2/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 94/94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से वादीगण संख्या 1 ता 3 का 0.9908 हैक्ट एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 0.7926 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:22:24 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 991 / 2022
अनवान : –

1. रामजीलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. नोपाराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. रामेश्वरलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. धनी पत्नी चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. विद्या पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. शारदा उर्फ लाली पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. ललीता उर्फ पाना पुत्री चेतराम उर्फ चेतनराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 991 सन 2024 निर्णय दिनांक –23/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 268 / 257 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 7 / 27 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 94 / 94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में से 62419 / 1203660 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 268 / 257 की कुल 18.1600 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से वादीगण बहिब 5 / 9 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 2 / 9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 94 / 94 की कुल 8.9160 हैक्ट भूमि में संयुक्त रूप से वादीगण संख्या 1 ता 3 का 0.9908 हैक्ट एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 0.7926 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:22:24 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर